

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(टीना डाबी, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक

25 / 2025  
14.05.2025

मुकेश पुत्र चुनी लाल जाट जाति जाट निवासी अरलावदा पुलिस थाना अरलावदा जिला देवास (मध्य-प्रदेश)

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य

—विपक्षी

एफ.आई.आर. नम्बर 17/2024 पुलिस थाना नगरफोर्ट जिला टोंक अपराध अन्तर्गत धारा 11(1)(घ) पशुओ के प्रति क्रूरता अधिनियम व धारा 3, 5, 6,8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) अधिनियम एवं धारा 3/181 मोटर यान अधिनियम प्रार्थना पत्र वास्ते दिये जाने सुपुर्दगी वाहन पिकअप संख्या एम.पी. 41 जेड बी 5380

उपस्थिति : (1) श्री राकेश चोपडा, अभिभाषक प्रार्थी  
(2) परोकार सरकार

## निर्णय

दिनांक 13.05.2026

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि श्री इन्द्रजीत सिंह निवासी वार्ड संख्या 08 कस्बा नगरफोर्ट थाना नगरफोर्ट जिला टोंक ने दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट तहरीर देने पर 08 गौवंश मौके से प्राप्त किये जाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना नगरफोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान करने पर वाहन नम्बर पिकअप संख्या MP 41 ZB 5380 पिकअप को अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर वाहन जप्त किये जाने के फलस्वरूप प्रार्थी ने व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र वाहन सुपुर्दगी हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रकरण से सम्बन्धित पुलिस थाना नगरफोर्ट जिला टोंक टोंक से केस डायरी तलब किये जाने पर उनके द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पुलिस थाना नगरफोर्ट ने दिनांक 16.01.2024 को वाहन नम्बर पिकअप संख्या MP 41 ZB 5380 पिकअप में अवैध गोवंश (सांड)परिवहन करने पर राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध ओर अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) नियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर



  
जिला कलेक्टर  
टोंक



टीका  
जिला कलेक्टर

जिला कलेक्टर के आधिकरण के संकेतः

इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के लिये उपयोग में लिया गया था, प्रवहण के उक्त रखने वाला संक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाये कि प्रवहण का उक्त साधन था नहीं, उस क्षेत्र पर उक्त प्रवहण का उक्त साधन अधिगृहीत किया गया था, अधिकारिता विनियम के विना की जायेगी और ऐसे अपराध के लिये यदि अधिगृहणन संस्थित किये जाये अधिगृहण की रिपोर्ट, अधिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा संक्षम प्राधिकारी को अर्पित/रिपोर्ट अधीन दण्डनीय कोई अपराध करने के संबंध में अधिगृहीत किया जाता है तो वहां ऐसे (2) जहां उप धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण का कोई भी साधन इस अधिनियम के

होगा।

करने के लिये उपयोग में लाया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिगृहणन के दायित्व/अधीन (1) जब कभी भी इस अधिनियम के दण्डनीय अपराध किये जाये तो ऐसा अपराध

धारा 6-क प्रवहण के साधन का अधिगृहण-

प्रकार है-

विनियम (संशोधन) अधिनियम 2018 (2019 का अधिनियम संख्यांक 25) की धारा 6-क.इस राजस्थान गौवर्णीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कर्त्ता निवारण अधिनियम में जल किया गया है।

राजस्थान गौवर्णीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) पञ्जाबी का अध्ययन किया। वहन संख्या पिकअप संख्या MP 41 ZB 5380 पिकअप इतने अधिगृहणक प्रार्थी एवं प्रयोकर सरकार की बहस पर मनन किया एवं किये जाने के आदेश प्रदान करें।

का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय डर्जा व खर्चा खर्चित वाहन की संपूर्दगी में दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है। इस कारण भी प्रार्थी संपूर्दगी/राजस्थान गौवर्णीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) अधिनियम के दायित्व/अधीन होने और अधिगृहीत किया गया प्रवहण का कोई भी साधन अधिगृहणन के दायित्व/अधीन होने और अधिनियम के दण्डनीय अपराध किये जाये तो ऐसा अपनाय करने के लिए उपयोग में अधिनियम 2018(2019 अधिनियम सं.25) की धारा 6 क यह कहती है कि कभी भी इस अपराध कारित होने एवं राजस्थान गौवर्णीय अधिनियम 1995 में हुए अधिनियम सं संशोधन अधिनियम) विनियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशुओं के प्रति कर्त्ता निवारण अधिनियम का 5.6,8 राजस्थान गौवर्णीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन या निर्यात का अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अपराध पाये जाने पर जल किया गया है। वाहन से धारा प्रवर्जन या निर्यात का विनियम) विनियम 1995 धारा 11 (1) (डी) पशु कर्त्ता निवारण 5380 गौवर्णीय परिवहन करने पर राजस्थान गौवर्णीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी का धानाधिकारी नगरकोट जिला टांक द्वारा वहन नम्बर पिकअप संख्या MP 41 ZB विहित रूप से कय नहीं कर पिकअप में परिवहन करना बाद अनुसंधान साबित है। गौवर्णी प्रयोकर सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा गौवर्णी को

जावे।

संपूर्दगी में लेने का अधिकार प्राप्त है। अतः जल देता वाहन प्रार्थी की संपूर्दगी में दिया को अपनी संपूर्दगी में प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी को उक्त वाहन को अपनी तकलीफ पूर्ण हो चुकी है, प्रार्थी जल देता वाहन का स्वामी है, जो जल देता उक्त वाहन है। वाहन के पुलिस में जल रहने से प्रार्थी को अपार आर्थिक क्षति हो रही है। पुलिस दंड्यु/टायर आदि के खराब होने व रंग रोगन व इंजन में परिवर्तन आने की पूर्ण सम्भावना है। वाहन जल किया है वाहन खान में खुले स्थान पर खड़ा हुआ है, जिससे वाहन के



प्राधान्य-पत्र में अंकित तथ्यों के अतिरिक्त अभिभाषक का यह भी कथन रहा है कि प्राणी के उक्त वाहन का तथाकथित आरोपित अपराध से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। प्राणी के वाहन को पुलिस ने प्रकरण में गलत रूप से जब्त किया है। थानाधिकारी पुलिस थाना नगरकोट जिला टोंक ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 12.05.2026 में अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट उनीयारा जिला टोंक में पेश किया जा चुका है। जबाबदा वाहन संख्या पिकअप संख्या एम.पी. 41 जेड बी 5380 पिकअप पुलिस थाना नगरकोट जिला टोंक में खड़ा होने का उल्लेख किया है। अतः प्राणी का वाहन प्राणी की संपूर्णता में दिया जाना अन्यायित है। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के मध्यनजर प्राधान्य पत्र स्वीकार किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना नगरकोट जिला टोंक द्वारा जप्त वाहन संख्या पिकअप संख्या MP 41 ZB 5380 पिकअप

के अधीन दायित्वहीन है।

टण्ड के दिव्य जाने को निवारित नहीं करेगा जिसका, उससे प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम (5) संक्षम प्राधिकारी द्वारा गया कोई भी अधिदण आदेश, ऐसे किसी भी विषय किया जाये तो वह किसी भी समय उसका विषय विवेचन का निर्देश दे सकेगा। अप्रामाणित, उप धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रवहण के साधन का सावधानिक नीलाम से फायदे के लिये यह समीचीन है दिक इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने के लिए (4) जहां संक्षम प्राधिकारी को यह राय हो कि लोक हित में या उसके स्वामी के नहीं होंगी।

बात के होने पर भी, किसी न्यायालय अधिदण या अन्य प्राधिकारी को उक्त अधिकाधिकारिता आदेश करने की अधिकाधिकारिता होंगी, और तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी के ऐसे साधन के कब्जे, परिधान, व्यवहन या निर्मित के संबंध में संक्षम प्राधिकारी को अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने के संबंध में अभिग्रहण किया जाता है, तब प्रवहण (3) जब कभी भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के किसी साधन का इस विषय जा चुका है।

परन्तु यह भी कि प्रवहण के साधन के स्वामी को पूर्ववर्ती परन्त्यक के अधीन विकल्प नहीं दिया जायेगा, यदि उसे किसी पूर्व अवसर पर उस परन्त्यक के अधीन विकल्प दिया जा चुका है।

साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के गुमान के साधन का विकल्प दिया जा धारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिदण का बंदले में प्रवहण के ऐसे परन्तु यह भी कि इस उप धारा के अधीन अधिदण का आदेश करने के पूर्व, उप साकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसके राज्य सरकार उचित समझे।


प्राधिकारी द्वारा मानता, प्रवहण के साधन के बारे में ऐसे आदेश करने के लिए राज्य अधिदण का कोई आदेश संक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जायेगा और संक्षम सरकार या उनके किसी उपक्रम के स्वामित्वहीन हो, वहां प्रवहण के ऐसे साधन के परन्तु यह और कि जहां प्रवहण का ऐसा साधन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य बरती थी तो संक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिदण नहीं करेगा।

और उसने ऐसे किसी अपराध को विवेचन करने को निवारित किया जाने में सम्यक सावधानी का कोई भी कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या कि विवेचन के सम्बन्ध में है स्वामी संक्षम प्राधिकारी का यह समझाने का है कि उसके पास यह विवेचन करने का उक्त साधन के स्वामी को सनवाई का युक्तिगत अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा परन्तु प्रवहण के उक्त साधन के अधिदण का आदेश करने से पूर्व प्रवहण के

को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश दिये जाते हैं कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में 30,000/रूपये (तीस हजार रूपये) राजकोष में जमा करवाकर रसीद, मोचन आदेश (रिलीज ऑर्डर) एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी नगरफोर्ट जिला टोंक को प्रस्तुत कर दें, तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दे दिया जावे। थानाधिकारी नगरफोर्ट जिला टोंक को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(टीना डाबी)  
जिला कलेक्टर,  
टोंक